भारत सरकार

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

औषध विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 428

दिनांक 19 नवम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

जनऔषधि केन्द्रों की स्थिति

428. श्रीमती क्वीन ओझाः
श्री रमेश चन्द्र कौशिकः
श्री दिलीप शइकीयाः
श्री ए. राजाः
डॉ. भारतीबेन डी. श्यालः
श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डीः
श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डीः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध कराने के लिए स्थापित जनऔषधि केंद्रों की वर्तमान स्थिति और ग्रामीण पिछडे क्षेत्रों, सहित ऐसे केंद्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी राज्यों में ऐसे केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार की है और यदि हां, तो उत्तर-पूर्वी राज्यों, हरियाणा, गुजरात और असम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश भर में प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि योजना (पीएमबीजेपी) के तहत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग किए गए धन का तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना के बाद से योजना में किए गए संशोधनों यदि कोई किए गए हैं, का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन केंद्रों के तहत दी जा रही दवाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ङ) पीएमबीजेपी के प्रभाव और देश भर में इस परियोजना के तहत तय और प्राप्त किए गए लक्ष्यों और प्राप्त प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार इस परियोजना के तहत कुछ और दवाओं को शामिल करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, और इन्हें कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा)

(क): दिनांक 11.11.2019 की स्थिति के अनुसार, देश भर में 5754 जनऔषधि केंद्र कार्य कर रहे हैं। इनकी राज्यवार सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

(ख): जी, हां। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1000 नए जनऔषधि केंद्र खोलने की योजना है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत तक देश के सभी जिलों को कवर करने की भी योजना है। प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) ने देश के 725 जिलों में से 689 जिलों को कवर कर लिया है।

(ग): वर्ष 2014-15 से स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**स्वीकृत निधियां**	**आवंटित निधियां**	**प्रयुक्त निधियां**
1.	2014-15	9.67	शून्य	13.63
2.	2015-16	16.92	16.91	26.28
3.	2016-17	49.75	49.75	49.75
4.	2017-18	54.62	47.64	47.64
5.	2018-19	42.50	42.50	42.50
कुल		173.46	156.80	179.80

इस योजना को समर्पित रिटेल आउटलेटों के माध्यम से सभी के लिए वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तायुक्त जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। वर्ष 2015 में, इस योजना में एक बड़ा पुनरुद्धार हुआ और इसे विस्तारित करके देश में 3000 रिटेल आउटलेट खोलने का निर्णय लिया गया। फ्रेंचाइजी जैसा एक मॉडल अपनाया गया और रिटेल आउटलेट संस्थापित करने और संचालित करने हेतु आवेदन करने के लिए अलग-अलग उद्यमियों को आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में एक व्यापक मीडिया अभियान चलाया गया। प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों की जांच की गई और पात्र आवेदकों को केंद्रों को खोलने के लिए औषधि लाइसेंस और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्राप्त करने में सहायता भी प्रदान की गई। दवाइयों की खरीद एवं साथ ही बिक्री में निजी भागीदारी के लिए मार्ग भी खोल दिया गया। इससे पहले, औषधियों की खरीद केवल पीएसयू से ही की जाती थी और रिटेल आउटलेटों को केवल सरकारी भवनों और सरकारी अस्पतालों में राज्य/केंद्र सरकार द्वारा खोला जाता था।

(घ): पीएमबीजेपी की उत्पाद संख्या में 900 दवाइयां और 154 शल्य चिकित्सा एवं उपभोज्य सामग्रियां शामिल हैं।

(ङ): वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत तक 3000 जनऔषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्यों को दिसम्बर, 2017 में प्राप्त कर लिया गया। 5000 जनऔषधि केंद्र खोलने का संशोधित लक्ष्य भी फरवरी, 2019 में प्राप्त कर लिया गया। इस समय, जनऔषधि केंद्रों की संख्या 5700 से पार हो गई है। इस समय देश के 688 जिले कवर किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत तक देश के सभी जिलों को कवर करने का लक्ष्य है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल बिक्री (एमआरपी में) 315.70 करोड़ रुपए थी जिसके परिणामस्वरूप आम नागरिकों को 2000 करोड़ रुपए की अनुमानित बचत हुई। साथ ही यह योजना एक निरंतर और नियमित अर्जन के साथ स्व-रोजगार का एक अच्छा स्रोत प्रदान कर रही है।

(च): दिनांक 11.11.2019 की स्थिति के अनुसार, पीएमबीजेपी की उत्पाद संख्या में 900 दवाइयां और 154 शल्य चिकित्सा एवं उपभोज्य सामग्रियां शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत तक इस उत्पाद संख्या को 1200 दवाइयों और 200 शल्य चिकित्सा एवं उपभोज्य सामग्रियों तक विस्तारित करने की योजना है।

अनुलग्नक-I

'जनऔषधि केन्द्रों की स्थिति' के संबंध में श्रीमती क्वीन ओझा, श्री रमेश चन्द्र कौशिक, श्री दिलीप शइकीया, श्री ए. राजा, डॉ. भारतीबेन डी. श्याल, श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी, श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी और डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा पूछे गए दिनांक 19.11.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 428 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण

दिनांक 11.11.2019 की स्थिति के अनुसार देश में कार्यात्मक पीएमबीजेपी केंद्रों की राज्य-वार सूची		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम**	**राज्यों में कार्यात्मक पीएमबीजेपी की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार	2
2	आंध्र प्रदेश	185
3	अरुणाचल प्रदेश	24
4	असम	81
5	बिहार	153
6	चंडीगढ़	5
7	छत्तीसगढ़	209
8	दादर और नगर हवेली	14
9	दमन और दीव	4
10	दिल्ली	119
11	गोवा	8
12	गुजरात	507
13	हरियाणा	168
14	हिमाचल प्रदेश	59
15	जम्मू और कश्मीर	77
16	झारखंड	55
17	कर्नाटक	567
18	केरल	487
19	लद्दाख	2
20	लक्षद्वीप *	0
21	मध्य प्रदेश	154
22	महाराष्ट्र	395
23	मणिपुर	35
24	मेघालय	1
25	मिजोरम	21
26	नगालैंड	16
27	ओडिशा	188
28	पुडुचेरी	15
29	पंजाब	180
30	राजस्थान	132

31	सिक्किम	2
32	तमिलनाडु	570
33	तेलंगाना	118
35	त्रिपुरा	24
36	उत्तर प्रदेश	879
37	उत्तराखंड	182
38	पश्चिम बंगाल	116
कुल		**5754**

* लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को दवाइयों की आपूर्ति सीधे की जाती है।

******